सारांश

राजस्थान की प्रमुख विशेषताये

Indicators	Year	Unit	Rajasthan	India
भोगोलिक क्षेत्र	2011	लाख वर्ग किमी	3.42	32.87
जनसंख्या	2011	करोड़	6.85	121.09
दशकीय वृद्धि	2001-2011	प्रतिशत	21.3	17.7
जनसंख्या घनत्व	2011	जनसंख्या प्रति वर्ग किमी	200	382
कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का घनत्व	2011	प्रतिशत	24.9	31.1
अनुसूचित जाति की जनसंख्या	2011	प्रतिशत	17.8	16.6
अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	2011	प्रतिशत	13.5	8.6
लिंगानुपात	2011	महिलाए प्रति 1,000 पुरुष	928	943
बाल लिंगानुपात(0-6 Year)	2011	बालिकाए प्रति 1,000 बालक	888	919
साक्षारता दर	2011	प्रतिशत	66.1	73.0
साक्षारता दर (पुरुष)	2011	प्रतिशत	79.2	80.9
साक्षारता दर (महिला)	2011	प्रतिशत	52.1	64.6
कार्य सहभागिता दर	2011	प्रतिशत	43.6	39.8
जन्म दर	2018*	प्रति 1,000 जनसंख्या	24.0	20.0
मृत्यु दर	2018*	प्रति 1,000 जनसंख्या	5.9	6.2
शिशु मृत्यु दर	2018*	प्रति 1,000 जीवित जन्म	37	32
मातृ मृत्यु अनुपात	2016-18*	प्रति लाख जीवित जन्म	164	113
जन्म के समय जीवन प्रत्यासा	2014-18*	वर्ष	68.7	69.4

आर्थिक विकाश के मुख्य सूचकांक

क्र॰सं॰	विवरण	इकाई	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
1.	सकल घरेलू राज्य उत्पाद a. स्थिर (2011-12) कीमतों पर b. प्रचलित कीमतों पर	रु करोड़	596746 760587	624831 828661	655713 921789	688714 998999	643222 957912
2.	सकल घरेलू राज्य उत्पाद वृद्धि दर a॰ स्थिर (2011-12) कीमतों पर b॰प्रचलित कीमतों पर	प्रतिशत	5.93 11.61	4.71 8.95	4.94 11.24	5.03 8.38	- 6.61 - 4.11
3.	सकल घरेलू राज्य मूल्य वर्धन मे क्षेत्रवार योगदान स्थिर कीमतों पर (a) कृषि (b) उद्योग (c) सेवाए	प्रतिशत	26.42 33.17 40.41	25.33 32.70 41.97	25.61 29.49 44.90	26.73 28.57 44.70	29.45 28.15 42.40
4.	सकल घरेलू राज्य मूल्य वर्धन मे क्षेत्रवार योगदान प्रचलित कीमतों पर (a) कृषि (b) उद्योग (c) सेवाए	प्रतिशत	28.02 29.46 42.52	26.26 29.37 44.37	25.69 27.27 47.04	26.80 26.03 47.17	29.77 24.80 45.43
5.	शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद a॰ स्थिर (2011-12) कीमतों पर b॰प्रचलित कीमतों पर	रु करोड़	529650 682626	554429 744622	580594 829068	610292 899143	570143 862633
6.	प्रति व्यक्ति आय a॰ स्थिर (2011-12) कीमतों पर b॰प्रचलित कीमतों पर	रु	71324 91924	73109 98188	75555 107890	78390 115492	72297 109386

7.	सकल स्थायी पूंजी निर्माण प्रचलित कीमतों पर@	रु करोड़	211986	236610	264622	271696	-
8.	कृषि उत्पादन सूचकांक* (आधार वर्ष 2005-06 to 2007-08=100)		175.12	170.17	183.08	201.69	-
9.	कुल खाद्यान्न उत्पादन*	लाख मैटन	231.40	221.05	231.60	265.81+	271.33@
10.	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 2011-12 =100)		122.11	133.08	140.37	126.90@	115.67@@
11.	थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1999-2000 =100) प्रतिशत परिवर्तन		287.24 5.00	292.34 1.78	301.74 3.22	316.00 4.73	334.19~ 5.76
12.	अधिष्ठापित क्षमता (ऊर्जा)	मेगावाट	18677	19553	21078	21176	21836$
13.	वाणिज्यिक बैंक साख (सितंबर)	रु करोड़	196698	219643	267523	315149	343406

* कृषि वर्ष से संबन्धित है

\+ अंतिम

@ प्रावधानिक

@@ प्रावधानिक दिसम्बर 2020 तक

$ दिसम्बर 2020 तक

~ दिसम्बर 2020 तक, (अप्रैल और मई, 2020 का सूचकांक कोविड-19 महामारी के कारण जारी नहीं).

वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य

- राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 2020-21 में 9.58 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है।
- वर्ष 2020-21 के लिए जीएसडीपी मौजूदा कीमतों पर देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.92 प्रतिशत है।
- COVID-19 प्रभाव के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था में 6.61 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है।
- मौजूदा कीमतों पर 2020-21 के लिए कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योगदान क्रमशः 29.77 प्रतिशत, 24.80 प्रतिशत और 45.43 प्रतिशत होने की उम्मीद है।
- 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय 1,09,386 रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।
- 2019-20 में सकल स्थायी पूंजी निर्माण मौजूदा कीमतों पर जीएसडीपी का 27.20 प्रतिशत है।
- सभी वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 2019 में 310.56 से बढ़कर वर्ष 2020 में 330.86 हो गया, जिसमें 6.54 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- राजस्थान के लिए सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 2020 में 153.06 रहा, जो कि वर्ष 2019 में 144.91 था जो 5.62 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- लॉकडाउन अवधि के कारण राज्य की समग्र अर्थव्यवस्था के अखिल भारतीय स्तर के 7.73 प्रतिशत की तुलना में 6.21 प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान है।

राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (रु करोड़)

वर्ष	स्थिर **(2011-12)** कीमतों पर		प्रचलित कीमतों पर	
	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	गत वर्ष की तुलना मे विचलन **(%)**	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	गत वर्ष की तुलना मे विचलन **(%)**
2015-16	563340	8.02	681482	10.69
2016-17	596746	5.93	760587	11.61
2017-18	624831	4.71	828661	8.95
2018-19	655713	4.94	921789	11.24
2019-20	688714	5.03	998999	8.38
2020-21 (अनुमानित)	643222	-6.61	957912	-4.11

अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद मे राजस्थान का अनुपात प्रचलित कीमतों पर (रु करोड़)

वर्ष	राजस्थान		अखिल भारत		राजस्थान का अखिल भारत मे अंश (%)
	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	गत वर्ष से वृद्धि (%)	सकल घरेलू उत्पाद	गत वर्ष से वृद्धि (%)	
2015-16	681482	10.69	13771874	10.46	4.95
2016-17	760587	11.61	15391669	11.76	4.94
2017-18	828661	8.95	17098304	11.09	4.85
2018-19	921789	11.24	18971237	10.95	4.86
2019-20	998999	8.38	20339849	7.21	4.91
2020-21(AE)	957912	-4.11	19481975	-4.22	4.92

अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद मे राजस्थान का अनुपात स्थिर (2011-12) कीमतों पर (रु करोड़)

वर्ष	राजस्थान		अखिल भारत		राजस्थान का अखिल भारत मे अंश (%)
	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	गत वर्ष से वृद्धि (%)	सकल घरेलू उत्पाद	गत वर्ष से वृद्धि (%)	
2015-16	563340	8.02	11369493	8.00	4.95
2016-17	596746	5.93	12308193	8.26	4.85
2017-18	624831	4.71	13175160	7.04	4.74
2018-19	655713	4.94	13981426	6.12	4.69
2019-20	688714	5.03	14565951	4.18	4.73
2020-21(अनुमानित)	643222	-6.61	13439662	-7.73	4.79

राजस्थान का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान (रु करोड़)

वर्ष	स्थिर (2011-12) कीमतों पर		प्रचलित कीमतों पर	
	शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद	गत वर्ष की तुलना मे विचलन(%)	शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद	गत वर्ष की तुलना मे विचलन(%)
2015-16	501922	7.85	610713	10.73
2016-17	529650	5.52	682626	11.78
2017-18	554429	4.68	744622	9.08
2018-19	580594	4.72	829068	11.34
2019-20	610292	5.12	899143	8.45
2020-21 (अनुमानित)	570143	-6.58	862633	-4.06

प्रति व्यक्ति आय स्थिर (2011-12) कीमतों पर (रु)

वर्ष	राजस्थान		अखिल भारत	
	प्रति व्यक्ति आय	गत वर्ष की तुलना मे विचलन **(%)**	प्रति व्यक्ति आय	गत वर्ष की तुलना मे विचलन **(%)**
2015-16	68565	6.31	77659	6.67
2016-17	71324	4.02	83003	6.88
2017-18	73109	2.50	87828	5.81
2018-19	75555	3.35	92085	4.85
2019-20	78390	3.75	94954	3.12
2020-21 (अनुमानित)	72297	-7.77	86456	-8.95

प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर (रु)

वर्ष	राजस्थान		अखिल भारत	
	प्रति व्यक्ति आय	गत वर्ष की तुलना मे विचलन **(%)**	प्रति व्यक्ति आय	गत वर्ष की तुलना मे विचलन **(%)**
2015-16	83426	9.16	94797	9.40
2016-17	91924	10.19	104880	10.64
2017-18	98188	6.82	115293	9.93
2018-19	107890	9.88	126521	9.74
2019-20	115492	7.05	134226	6.09
2020-21 (अनुमानित)	109386	-5.29	126968	-5.41

मूल्य सांख्यिकी : राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक (WPI) (आधार वर्ष 1999-2000=100)

कृषि और संबद्ध क्षेत्र

कृषि और संबद्ध क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कृषि और संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियाँ मुख्य रूप से फसलों की खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी को संदर्भित करती हैं। आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी आजीविका के लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर है। राजस्थान में कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर आधारित है। मानसून की अवधि कम होती है। अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में मानसून की शुरुआत देर से होती है और इसकी वापसी जल्दी होती है। वर्षा के प्रसार के समय में भिन्नता होती है, जो अधिकतर कम, कम और अनियमित रहती है। राज्य में भूजल का स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। वर्ष 2020-21 के दौरान मौजूदा कीमतों पर राजस्थान (जीएसवीए) में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का 29.77 प्रतिशत योगदान करने की उम्मीद है।

भूमि उपयोग:

वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य का कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र 342.87 लाख हेक्टेयर है। इस से बाहर-

- 8.05 प्रतिशत वनों के अधीन है (27.60 लाख हेक्टेयर)

• 5.81 प्रतिशत क्षेत्र गैर-कृषि उपयोग (19.93 लाख हेक्टेयर) के अधीन है,

बंजर और अकृषि योग्य भूमि के अंतर्गत 6.95 प्रतिशत (23.83 लाख हेक्टेयर),

• स्थायी चरागाहों और अन्य चराई भूमि के अंतर्गत 4.86 प्रतिशत (16.68 लाख हेक्टेयर),

• विविध वृक्ष फसलों और उपवनों के अंतर्गत 0.08 प्रतिशत भूमि (0.26 लाख हेक्टेयर),

• कृषि योग्य बंजर भूमि के अंतर्गत 11.04 प्रतिशत (37.84 लाख हेक्टेयर),

• वर्तमान परती के अलावा अन्य परती भूमि के अंतर्गत 6.14 प्रतिशत (21.06 लाख हेक्टेयर),

• वर्तमान परती के तहत 5.22 प्रतिशत (17.89 लाख हेक्टेयर)

• 51.85 प्रतिशत क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्र (177.78 लाख हेक्टेयर) है।

मानसून:

राजस्थान में कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है अर्थात मानसून पर निर्भर है जो प्रकृति में बहुत अनिश्चित है; मानसून की अवधि भी आमतौर पर कम रहती है। वर्षा पैटर्न इंगित करता है कि वर्तमान मानसून के मौसम के दौरान, मानसून की शुरुआत 9 दिनों की देरी से हुई थी। राज्य में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 15 जून थी, लेकिन यह 24 जून को आ गई। इसने जुलाई, 2020 के पहले सप्ताह तक पूरे राज्य को कवर किया। राज्य में 1 जून से 30 सितंबर, 2020 की अवधि में वास्तविक वर्षा 520.79 मिमी थी, जबकि सामान्य वर्षा 520.98 मिमी थी, जो कि सामान्य वर्षा की तुलना में 0.04 प्रतिशत कम है। सामान्य वर्षा।

जल संसाधन:

राजस्थान के जल संसाधन विभाग ने बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के रूप में राज्यों के अल्प जल संसाधनों का उपयोग, प्रबंधन करके राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष 2020-21 के दौरान-

• 7 प्रमुख परियोजनाएं [नर्मदा नहर परियोजना, परवन, धौलपुर लिफ्ट, आरडब्ल्यूएसआरपीडी (रेगिस्तान क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना) रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए, नवनेरा बैराज (ईआरसीपी), और ऊपरी उच्च स्तरीय नहर, पिपलखुंट]

• 6 मध्यम परियोजनाएं (गरदादा, तकली, गग्रीन, ल्हासी, राजगढ़ और हटियादेह)

• 46 लघु सिंचाई योजनाएं

पशुपालन

पशुधन जनगणना-2019 में राज्य की कुल पशुधन संख्या 568.01 लाख और कुक्कुट पक्षियों की संख्या 146.23 लाख है। राज्य में देश के लगभग 10.58 प्रतिशत पशुधन हैं।

• इसमें लगभग 7.20 प्रतिशत मवेशी हैं,

• 12.47 प्रतिशत भैंस,

• 13.99 प्रतिशत बकरियां,

• १०.६४ प्रतिशत भेड़ और

• देश के 98.43 फीसदी ऊंट।

• दूध में राज्य ने 12.72 प्रतिशत का योगदान दिया और

• वर्ष 2017-18 में देश के उत्पादन में 34.46 प्रतिशत ऊन।

वानिकी

राज्य में अधिसूचित वन के रूप में कुल 32,737 वर्ग किलोमीटर है जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 9.57 प्रतिशत है। राज्य में वन क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का 4.86 प्रतिशत है राजस्थान ने द्विवार्षिक मूल्यांकन अवधि 2017-19 के दौरान 58 वर्ग किमी वन क्षेत्र की वृद्धि दर्ज की है। राज्य के पास है -

• 3 राष्ट्रीय उद्यान।

• 27 वन्यजीव अभ्यारण्य

• 14 संरक्षण भंडार

• जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में 3 जैविक उद्यान.

ग्रामीण विकास और पंचायती राज

COVID-19 महामारी के कारण प्रवासी श्रमिकों को राहत प्रदान करने के लिए, गरीब कल्याण रोजगार अभियान (GKRA) 22 जिलों में लागू किया गया है, जिसमें 48.83 लाख मानव-दिवस उत्पन्न हुए हैं।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (आरजीएवीपी) - राजीविका: राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (आरजीएवीपी) जिसे राजीविका भी कहा जाता है, ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत राजस्थान सरकार द्वारा अक्टूबर, 2010 में स्थापित एक स्वायत्त विभाग है।

महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना: राष्ट्रपिता की 150वीं जयंती (वर्ष 2019) के अवसर पर 27 नवंबर, 2019 को "महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना" शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, प्रत्येक जिले में एक गांव होना है। गांधीवादी मूल्यों के अनुसार चयनित और विकसित। इसके साथ ही उक्त गांव में हर साल 14 नवंबर को "मेरा गांव मेरा गौरव" दिवस का आयोजन भी किया जाता है। इस योजना के तहत, राज्य के 22 जिलों में "गांधी ज्ञान केंद्र पुस्तकालय एवम विद्यालय" का उद्घाटन किया गया है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम): राष्ट्रीय रूर्बन मिशन (एनआरयूएम) का लक्ष्य देश भर में निम्नलिखित तीन वर्षों में 300 ऐसे रूर्बन विकास क्लस्टर बनाना है। पहले चरण 2015-16 में पांच क्लस्टर, दूसरे चरण 2016-17 में छह क्लस्टर, 2017-18 में चार क्लस्टर चुने गए।

पंचायती राज

वर्तमान में राज्य में 33 जिला परिषदें, 352 पंचायत समितियां और 11,341 ग्राम पंचायतें अस्तित्व में हैं।

पंचायत पुरस्कार: भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार, भारत सरकार ने 2010-11 में यह योजना शुरू की थी। निम्नलिखित श्रेणियों के लिए हर साल 24 अप्रैल को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर पुरस्कार दिए जाते हैं: -**. ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार (GPDPA)-** इस पुरस्कार को 2019 में संस्थागत रूप दिया गया था, इस पुरस्कार योजना के तहत उत्कृष्टता के लिए केवल एक ग्राम पंचायत का चयन किया जाता है। पंचायत समिति मंडोर, जिला जोधपुर की ग्राम पंचायत नंदरी का चयन वर्ष 2020 के लिए किया गया था।

औद्योगिक विकास

राज्य के कुल सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए) में उद्योग क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान 2020-21 में मौजूदा कीमतों पर 24.80 प्रतिशत है। मौजूदा कीमतों पर जीएसवीए में विनिर्माण और खनन क्षेत्र का योगदान 2020-21 में क्रमशः 9.31 प्रतिशत और 4.15 प्रतिशत है।

• राजस्थान दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है जो देश में कुल कच्चे तेल के उत्पादन में लगभग 22-23 प्रतिशत का योगदान देता है।

• राजस्थान लेड और जिंक अयस्क, सेलेनाइट और वोलास्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक है। देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान से होता है।

• मौजूदा सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम को मजबूत करने और एक ही छत के नीचे निवेश प्रस्तावों की सुविधा के लिए, "वन स्टॉप शॉप" सुविधा स्थापित की जा रही है।

राजस्थान औद्योगिक विकास नीति-2019: यह नीति औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1 जुलाई, 2019 से लागू हुई।

सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम (एसडब्ल्यूसीएस): विभिन्न लाइसेंसों, अनुमतियों और अनुमोदनों को समयबद्ध अनुदान प्रदान करने का उद्देश्य। दिसंबर, 2020 तक SWCS के तहत 15 विभागों की 105 सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान (दिसंबर, 2020 तक)

वन स्टॉप शॉप: राजस्थान एंटरप्राइजेज सिंगल विंडो इनेबलिंग एंड क्लीयरेंस (संशोधन) अधिनियम, 2020 को राजस्थान राजपत्र में 16 सितंबर, 2020 को अधिसूचित किया गया था। वन स्टॉप शॉप सुविधा के तहत, आवेदक ऑनलाइन पोर्टल "https//: के माध्यम से आवेदन कर सकता है। rajnivesh.rajasthan.gov.in"।

श्रम:

राज्य सरकार ने 19 अगस्त, 2020 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों को संशोधित कर क्रमशः ₹225, 237, ₹249 और ₹299 प्रति दिन कर दिया है, जो 1 मई से प्रभावी है। 2019 ।

भारतीय/राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं के लिए प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रितों को बढ़ावा देने की योजना: इस योजना के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर ₹1.00 लाख और राजस्थान प्रशासनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर ₹50,000/- दिए जाएंगे। परीक्षा।

आईआईटी/आईआईएम में प्रवेश मिलने पर निर्माण श्रमिकों के बेटे/बेटी की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति की योजना: इस योजना के तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में प्रवेश मिलने पर निर्माण श्रमिकों के बेटे/बेटी की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा की जाएगी। और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम)।

रोजगार विभाग:

राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना (मुख्यमंत्री युवा संबल योजना): राज्य सरकार की इस योजना के तहत जो 1 फरवरी, 2019 को शुरू हुई थी, पुरुषों के लिए ₹3,000 और महिलाओं, ट्रांसजेंडर और विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए ₹3,500 का बेरोजगारी भत्ता पात्र लोगों को वितरित किया जा रहा है। बेरोजगार युवाओं को प्रति माह अधिकतम दो वर्ष के लिए या जब तक वे नियोजित/स्वरोजगार नहीं हो जाते, जो भी पहले हो।

राज-कौशल पोर्टल: इसका उद्घाटन 5 जून, 2020 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा COVID-19 के दौरान प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और उपलब्ध मानव-शक्ति और रोजगार को एक मंच पर लाने के लिए किया गया था।

आधारभूत संरचना विकास

ऊर्जा:

- दिसंबर, 2020 तक राज्य में बिजली की स्थापित क्षमता 21,836 मेगावाट है, जिसमें वर्ष 2020-21 के दौरान 660 मेगावाट जोड़ा गया है।
- राजस्थान सरकार ने निवेशक हितैषी राजस्थान सौर ऊर्जा नीति-2019 जारी की है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान पवन एवं संकर ऊर्जा नीति-2019 जारी की है।
- कोविड-19 महामारी के दौरान 5 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण- राज्य में शत-प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने दिसंबर, 2020 तक 43,199 गांवों का विद्युतीकरण किया है। इसके अलावा 1.14 लाख ढाणियों और 93.88 लाख ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण भी किया गया है।

सड़क:

1949 में कुल सड़क की लंबाई जो सिर्फ 13,553 किलोमीटर थी, मार्च, 2020 तक बढ़कर 2,69,028.16 किलोमीटर हो गई। मार्च, 2020 के अंत में राज्य में सड़कों का घनत्व 78.61 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है।

वर्ष 2020-21 के दौरान दिसम्बर, 2020 तक सड़क विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), मिसिंग लिंक्स, स्टेट रोड फंड और ग्रामीण सड़कों के तहत 821 किमी बीटी सड़कों का निर्माण किया गया है।

- 2011 की जनगणना के अनुसार 500 और उससे अधिक आबादी वाले 57 गांवों को राज्य सड़क निधि ग्राम संपर्क योजना के तहत जोड़ा गया था।
- 40 कि.मी. ग्रामीण गौरव पथ (सीसी रोड) का काम पूरा हो गया है।

रेलवे:

मार्च, 2018 में राज्य में रेलवे मार्गों की कुल लंबाई 5,929 किलोमीटर थी, जो मार्च, 2019 के अंत में मामूली रूप से बढ़कर 5,937 किलोमीटर हो गई। राज्य में रेलवे की लंबाई अखिल भारतीय मार्ग की लंबाई का 8.81 प्रतिशत है।

उभरता सेवा क्षेत्र

• 'वंदे भारत मिशन' के तहत, 56,348 अनिवासी भारतीय (एनआरआई) COVID-19 के दौरान राजस्थान में 414 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से पहुंचे।

• राजस्थान पर्यटन नीति, 2020 को राज्य में 9 सितंबर, 2020 को अधिसूचना द्वारा पेश किया गया है।

• कोविड-19 की प्रभावी निगरानी के लिए राज-कोविड सूचना ऐप विकसित किया गया है और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से जियो-फेंसिंग तकनीक द्वारा संगरोध प्रक्रिया का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाता है।

• २०२०-२१ में, राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धित मूल्य में ४५.४३ प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ सेवा क्षेत्र राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा क्षेत्र बना रहा।

देवस्थान विभाग:

1. **वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना एवं सिंधु दर्शन योजना ऋण देने वाली संस्थाएं विभिन्न वित्त पोषण के लिए** : इस योजना के तहत राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को देश के विभिन्न स्थानों जैसे रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, वैष्णो देवी, में मुफ्त यात्रा और दर्शन की सुविधा प्रदान की जा रही है। वर्ष 2020-21 के दौरान शिरडी, द्वारकापुरी, तिरुपति, कामाख्या, उज्जैन, वाराणसी, अमृतसर, श्रवण-बेलगोला, समांडे शिखर, बिहारशरीफ, गोवा, हरिद्वार, कोच्चि, लखनऊ आदि।
2. **मोक्ष कलश योजना:** परिवहन सुविधा के अनुचित संचालन के कारण COVID-19 महामारी को देखते हुए, गरीब परिवारों को रोडवेज बसों से हरिद्वार की मुफ्त यात्रा की अनुमति देने के लिए यह योजना शुरू की गई है।

वित्तीय सेवाएं:

प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) - राजस्थान में 2.90 करोड़ खाते खोले गए हैं और 87.70 प्रतिशत खातों की आधार सीडिंग 31 दिसंबर, 2020 (अस्थायी) तक पूरी हो चुकी है।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार:

जन सूचना पोर्टल - इसमें 55 विभागों में चल रही 99 योजनाओं की 277 जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

यूआईडी (आधार) - सभी नागरिकों को एक 12 अंकों की संख्या प्रदान की जा रही है जिसे विशिष्ट पहचान संख्या कहा जाता है। 30 नवंबर, 2020 तक DoIT&C ने 170 करोड़ से अधिक प्रमाणीकरण किए हैं।

राजस्थान संपर्क पोर्टल - इसका उपयोग केंद्रीकृत शिकायत निवारण मंच के रूप में किया जा रहा है। सीएम हेल्पलाइन के लिए एक नया टोल फ्री नंबर (181) सक्रिय किया गया है। कोविड-19 के दौरान वॉर रूम को प्राप्त 2,79,206 से अधिक शिकायतों/समस्याओं का लगभग 2,78,559 शिकायतों/समस्याओं का समाधान किया गया।

शहरीकरण और शहरी विकास

इंदिरा रसोई योजना: "कोई भुखा ना सोया" की अवधारणा को साकार करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार ने 20 अगस्त, 2020 को राज्य के सभी 213 शहरी स्थानीय निकायों में 358 स्थायी रसोई के माध्यम से "इंदिरा रसोई योजना" शुरू की है। जनता को 8 प्रति थाली के हिसाब से लंच/डिनर उपलब्ध कराया जा रहा है और राज्य सरकार 12 प्रति प्लेट का अनुदान दे रही है।

प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी): इस आवास योजना का उद्देश्य बेघर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (वार्षिक आय 3.00 लाख तक) और निम्न आय वर्ग (वार्षिक आय 3.00 से 6.00 लाख) के साथ किफायती घर प्रदान करना है। राज्य में PMAY-शहरी के तहत कुल 2,31,020 घरों को मंजूरी दी गई है। वर्तमान में 57,864 आवास प्रगति पर हैं और 8,040 पूर्ण हो चुके हैं।

अन्य सामाजिक सेवाएं/कार्यक्रम

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना: यह योजना 19 नवंबर, 2020 से प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और सहरिया बहुल बारां जिले में शुरू की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, इस योजना के तहत, दूसरे बच्चे के जन्म पर पांच चरणों में लाभार्थियों को सीधे 6,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे।

राज्य वित्त और विकास के लिए अन्य संसाधन

- 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का राजकोषीय घाटा 3.77 प्रतिशत था।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए ऋण और अन्य देनदारियां 2019-20 में 35.31 प्रतिशत थी।

राजकोषीय घाटा:

2019-20 में राजकोषीय घाटा ₹37,654 करोड़ था, जबकि 2019-20 के संशोधित अनुमानों में ₹33,214 करोड़ का अनुमान लगाया गया था। 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में राजकोषीय घाटा 3.77 प्रतिशत था, जबकि 2019-20 के संशोधित अनुमानों में इसे 3.16 प्रतिशत अनुमानित किया गया था।

सतत विकास लक्ष्य

सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की सफलता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 सितंबर 2015 को आयोजित अपने 70वें सत्र में "ट्रांसफॉर्मिंग ओवर वर्ल्ड: द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट" नामक रूपरेखा को अपनाया।

सतत विकास लक्ष्यों:

- कोई गरीबी नहीं
- शून्य भूख
- अच्छा स्वास्थ्य और भलाई
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
- लैंगिक समानता
- स्वच्छ जल और स्वच्छता
- सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा
- अच्छा काम और आर्थिक विकास
- उद्योग, नवोन्मेष और बुनियादी ढांचा
- असमानताओं में कमी
- स्थायी शहर और समुदाय
- जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन।
- जलवायु कार्रवाई
- जल के नीचे जीवन
- भूमि पर जीवन
- शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं
- लक्ष्यों के लिए भागीदारी।

राजस्थान की प्रतिबद्धता:

राजस्थान सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राजस्थान सरकार ने "किसी को पीछे नहीं छोड़ना" के अपने प्रयास में एसडीजी एजेंडा 2030 को साकार करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण पहल की है। इनमें योजनाओं का सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन और मानचित्रण शामिल है।